

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त एक व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय में रहना ही ही किया जावे न कि वे विद्यालय में कार्यकारी न हों कि वे। व्यवहारिक विषय पर यदि पूर्व में एक व्यवहार हुआ हो तो एक व्यवहार एक विचारिक व्यवहार माना जावे किन्तु नहीं।



नाम : कुलसचिव
 पता : (0751) 2441896
 (0751) 2442029
 फ़ोन : (0751) 2441708

प्रेषक :
 कुलसचिव,
 जीवाजी विश्वविद्यालय
 ग्वालियर
 क्रमांक एक/सम्बद्धता/2012/ 8056

दिनांक: 13/02/13

// सूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बद्ध जी.आई.एस.आर. नर्सिंग महाविद्यालय, सूर्य मंदिर रोड, रेजीडेन्सी, ग्वालियर (0751-2405662) को सत्र 2012-13 के लिये प्रस्तावित/संचालित पोस्ट बैथिक बी.एस-सी. (नर्सिंग), पाठ्यक्रम तथा पाठ्यक्रमों/विषयों की अस्थायी सम्बद्धता हेतु अनुशंसार्थ प्रदान करने के लिये माननीय कुलपति महोदय/स्वामी समिति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के परिचय 27(10) के अन्तर्गत निम्नानुसार निरीक्षण समिति का गठन किया है :-

- (1) प्रो. महेश प्रकाश, आचार्य, भौतिकी अध्ययनशाला, जी.वि.वि., ग्वालियर। (संयोजक)
(0751-2442779)
- (2) डॉ. ज्योति मोहिते, आचार्य, जी.आर.एस.सी., ग्वालियर।
- (3) डॉ. आर.जी. जग, आचार्य, पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान अध्ययनशाला, जी.वि.वि., ग्वालियर।
- (4) डॉ. अमेश दुबे, आचार्य, चित्र संस्थान, जी.वि.वि., ग्वालियर।

निरीक्षण समिति को सदस्यों से अनुरोध है कि वे परिचय 27(10) के प्रावधानों के अनुरूप महाविद्यालय का प्रत्यक्ष निरीक्षण कर चुक, घरेलू राशि, वकिल शैक्षणिक/अशैक्षणिक स्टॉक, प्राधिकृत संस्था से प्राप्त अनुमति/अनापत्ति प्रमाण-पत्र, भवन, कीड़ा परिसर एवं पाठ्यक्रम/आर्किनेक्स तथा पिछले सत्र में दी गई छात्रों की पूर्ण मूल्य प्रमाण पत्र के तथा प्राचार्य/शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टॉक की नियमितता का प्रमाण एवं वेतन आदि के बारे में स्पष्ट विवरण/अनुशंसार्थ प्रेषित करें।

स्वामी समिति की बैठक दिनांक 26 दिसम्बर 2012 के पद क्रमांक 60 (अ-अ-2) पर लिये गये निर्णयानुसार निरीक्षण समिति द्वारा 30 दिन में महाविद्यालय का निरीक्षण कर 15 दिवस में विश्वविद्यालय कार्यालय में निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावे। जिससे कि सम्पूर्ण कार्यवाही (महाविद्यालय निरीक्षण की) 15 दिवस में पूर्ण हो सकेगी एवं महाविद्यालय को विश्वविद्यालय द्वारा दी जाने वाली अस्थायी सम्बद्धता में विलम्ब नहीं होगा एवं तथा समय सम्बद्धता संबंधी कार्यवाही पूर्ण हो सकेगी तथा शासन के निर्देशों का पालन सुविधित किया जा सकेगा।


गठन के 45 दिवस में Report प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाएगा कि महाविद्यालय का निरीक्षण नहीं हुआ है। निरुपानुसार अर्बवन्ध जमा करकर नवीन समिति गठित की जावेगी। विले 15 दिवस में निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। परिचय 27(11)(1) के अनुसार सम्बद्धता प्राप्त किए बिना छात्रों को प्रवेश देना अवैधानिक है।

निरीक्षण समिति के साथ सम्बद्धता शाखा में कार्यरत अधीक्षक / कार्यालय सहायक पत्रावली लेकर जावेंगे तथा महाविद्यालय की वस्तुस्थिति से निरीक्षण समिति को अवगत करावेंगे। निरीक्षण समिति के सदस्यों को सी.ए. / डी.ए. / मानदेय महाविद्यालय द्वारा देय होगा।


 कुलसचिव

प्रतिलिपि :-

1. समस्त सदस्यों की ओर सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. प्राचार्य/अध्यक्ष, संबंधित महाविद्यालय की ओर भेजकर आग्रह है कि समिति के संयोजक से अपेक्षित स्थापित कर निरीक्षण दिनांक निर्धारित कर महाविद्यालय का निरीक्षण करावे। उक्त निरीक्षण 15 दिवस के अन्दर कराने की आवश्यकता है।
3. अनुक्त उच्च शिक्षा, सतपुड़ा भवन, भोपाल
4. कुलपति को सचिव / कुलसचिव को निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर


 सहायक कुलसचिव (सम्बद्धता)

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समाप्त एक वर्षांतर कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय की जगह से हो किया जाये व कि किसी अन्य कार्यालयी के नाम से। सम्बन्धित विभाग पर यदि पूर्व में एक वर्षांतर हुआ हो तो एक वर्षांतर एवं विनाश अवस्था लिखा जाये लिखते लखिका न।



ताम : मुंबई
दूरभाष : (0751) 2341830
(0751) 2442029
फैक्स : (0751) 2341704

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक:एच/सम्बद्धता/2012/6057

दिनांक: 13/09/13

// सूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बद्ध बी.आर्.एम.आर. नर्सिंग महाविद्यालय, ग्वालियर (0751-2405662) को सत्र 2012-13 के लिये प्रस्तावित/संचालित बी.एस-जी. (नर्सिंग), पाठ्यक्रम कक्षा/पाठ्यक्रम/विषयों की अस्थायी सम्बद्धता हेतु अनुसंधान प्रदान करने के लिये माननीय कुलपति महोदय/स्थायी समिति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के परिचियम 27(10) के अन्तर्गत निम्नानुसार निरीक्षण समिति का गठन किया है :-

- (1) प्रो. आर.ए. शर्मा, आचार्य, पुस्तकालय अध्ययनशाला, जी.वि.वि., ग्वालियर। (संयोजक)
(0751-2442602)
- (2) डॉ. रेणुका दास, प्राचार्य, पी.जी. कॉलेज ऑफ नर्सिंग, केंसर पहाड़ी, ग्वालियर।
- (3) प्रो. हेमन्त शर्मा, आचार्य, पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान अध्ययनशाला, जी.वि.वि., ग्वालियर।

निरीक्षण समिति के सदस्यों से अनुरोध है कि वे परिचियम 27/28 के प्रावधानों के अनुसार महाविद्यालय का प्रत्यक्ष निरीक्षण कर शुल्क, परीक्षा राशि, वॉकिंग हेतु/अवैधानिक

क सौंप, प्राधिकृत संस्था से प्राप्त अनुमति/अनामत प्रमाण-पत्र, भवन, क्रीडा परिसर एवं पाठ्यक्रम/आदिनेया तथा पिछले सत्र में दी गई शर्तों की पूर्ति मय प्रमाण पत्र के तथा प्राचार्य/वैधानिक एवं अवैधानिक दस्तावेजों की नियुक्तियों का प्रमाण एवं वेतन आदि के बारे में स्पष्ट विवरण/अनुसंधान अंकित करें।

स्थायी समिति की बैठक दिनांक 26 सितम्बर 2012 के पद क्रमांक 60 (ब-अ-2) पर लिखे गये निर्णयानुसार निरीक्षण समिति द्वारा 30 दिन में महाविद्यालय का निरीक्षण कर 15 दिवस में विश्वविद्यालय कार्यालय में निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाये। जिससे कि सम्पूर्ण कार्यवाही (महाविद्यालय निरीक्षण की) 45 दिवस में पूर्ण हो सकेगी एवं महाविद्यालय को विश्वविद्यालय द्वारा दी जाने वाली अस्थायी सम्बद्धता में विलम्ब नहीं होगा एवं यथा समय सम्बद्धता संबंधी कार्यवाही पूर्ण हो सकेगी तथा शासन के निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जा सकेगा।

गठन के 45 दिवस में Report प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाएगा कि महाविद्यालय का निरीक्षण नहीं हुआ है। रिपोर्टानुसार अर्थात् जमा कराकर वर्गीकृत समिति गठित की जावेगी। यदि 15 दिवस में निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। परिचियम 27(11)(2) के अनुसार सम्बद्धता प्राप्त किए बिना छात्रों को प्रवेश देना अवैधानिक है।

निरीक्षण समिति के साथ सम्बद्धता शाखा में कार्यरत अधीक्षक / सहायक सहायक पत्रावली लेकर जायेंगे तथा महाविद्यालय की वस्तुस्थिति से निरीक्षण समिति को अवगत करावेंगे। निरीक्षण समिति के सदस्यों को टी.ए. / डी.ए. / मानदेय महाविद्यालय द्वारा देय होगा।


कुलसचिव

प्रतिलिपि :-

1. समाप्त सदस्यों की ओर सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. प्राचार्य/अध्यक्ष, संबंधित महाविद्यालय की ओर भेजकर आग्रह है कि समिति के संयोजक से संपर्क स्थापित कर निरीक्षण रिपोर्ट निर्धारित कर महाविद्यालय का निरीक्षण करावें। उक्त निरीक्षण 15 दिवस के अन्दर करने की व्यवस्था करें।
3. आयुक्त उच्च शिक्षा, सतपुड़ा भवन, भोपाल
4. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर


सहायक कुलसचिव (सम्बद्धता)